न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 2 / 2020 दायर दिनांक 18.08.2020

उनवान

1. गोवर्धन पुत्र गणेश जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी रोलिया तहसील कपासन , जिला चित्तौड़गढ़ ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहन पुत्र गणेश जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी रोलिया तहसील कपासन , जिला चित्तौड़गढ़।
2. शंकर पुत्र गणेश जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी रोलिया तहसील कपासन , जिला चित्तौड़गढ़।
3. ग्राम पंचायत रोलिया, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रोलिया, तहसील कपासन , जिला चित्तौड़गढ़।
4. पटवारी हल्का रोलिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
5. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत रोलिया नामान्तरण सं 158, दिनांक 18.05.1971

निर्णय दिनांकः 08.04.2021

–: निर्णयः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के अपीलान्ट ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा रोलिया, पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन हल्के में स्थित स्व0 गणेश पिता वरदा के स्वामित्व, खातेदारी, हक हिस्से की साबिक आराजी संख्या 109 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, साबिक आराजी संख्या 110 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, साबिक आराजी संख्या 141 रकबा 3 बीघा [illegible] बिस्वा, साबिक आराजी संख्या 142 रकबा 2 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 1[illegible] बीघा 6 बिस्वा स्थित [illegible] संयुक्त खातेदारी की साबिक आराजी संख्या 143 रकबा 8 बिस्वा आचा स्थित थी जिसमें मृत्तक गणेश का 3 / 5 हक हिस्सा निहित था। उक्त गणेश जी मृत्यु उपरान्त विरासतन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.08.18 15:46:01 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरण का ग्राम पंचायत रोलिया द्वारा नामान्तरण संख्या 158 दिनांक 18.05.1971 को फैसल किया गया जो मोहन, गोटू, शंकर पिता गणेश के नाम से दर्ज किया गया।

यह कि गणेश पिता वरदा जी का स्वर्गवास हो गया है, जिनका पारिवारिक सजरा निम्न है–

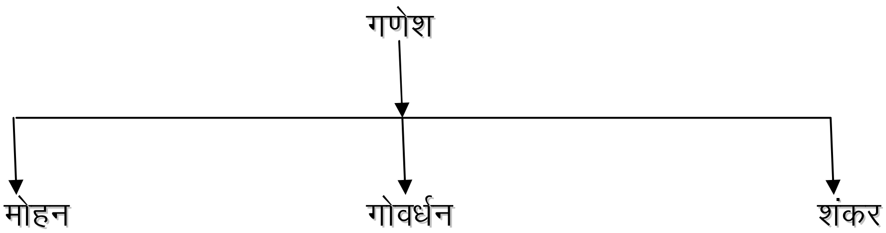

यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कॉलम संख्या 1 में वर्णित साबिक आराजीयात का नामान्तरण खोलते वक्त सहवन से अपीलार्थी गोवर्धन का नाम गोटू अंकित कर दिया जबकि अपीलार्थी का सही नाम राजकीय दस्तावेज आदि में भी गोवर्धन अंकित है, जिससे इन्तकाल फैसल दिनांक से आज तक प्रत्येक जमाबन्दी रोटेशन में अपीलार्थी का नाम गोटू अंकित होना आ रहा है। जिससे फसल मुआवजा, फसल बीमा व राजकीय फसल बिक्री आदि में अपीलार्थी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे ग्राम पंचायत रोलिया द्वारा फैसल नामान्तरण संख्या 158 दिनांक 18.05.1971 को रद कर अपीलार्थी का सही नाम गोवर्धन अंकित करते हुए अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरण आदेश फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है व तद्नुसार जमाबन्दी में अंकन किया जाना उचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित साबिक आराजीयात के हाल नम्बर 403, 421, 423, 424, 425 हैं, जिनमें अपीलार्थी का नाम जमाबन्दी में गोवर्धन के बजाय गोटू अंकित है, जिससे संशोधित करने के सम्बन्ध में राजस्व कर्मचारियों रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 से सम्पर्क किया तो उन्होंने नामान्तरण की त्रुटि होने से दिनांक 14.07.2020 को संशोधन से इन्कार कर दिया, जिससे अपील श्रीमान् के समक्ष पेश है।

यह कि अपीलार्थी को दिनांक 14.07.2020 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन्कार करने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर नामान्तरण साबिक जमाबन्दी आदि की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश है फिर भी देरी माफी के लिए दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.08.18 15:46:01 IST
Reason: SelfAttested

यह की अपील श्रीमान् के श्रवणाधिकार होने से न्यायालय आप में प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना की कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का

निर्णय नामान्तरण संख्या 158 दिनांक 18.05.1971 को शुन्य व निरस्त घोषित किया जावें और अपील की कॉलम संख्या 2 के सजरे अनुसार अपीलान्ट का नाम गोटू के बजाय गोवर्धन संशोधित करते हुए इन्तकाल का आदेश प्रदान करावें व जमाबन्दी में तदनुसार अमल दरामद का आदेश प्रदान करावें।

हमने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 ने हाजिर होकर इकबालिया जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 सरपंच ग्राम पंचायत रोलिया ने यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि गोवर्धन लाल उर्फ गोटू लाल दोनो एक ही व्यक्ति है।

हमने वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अनपढ़ है तथा उसे इस सम्बन्ध में जानकारी सरकार के फसल तुलाने हेतु नकल लेने पर दिनांक 14.07.2020 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन्कार करने पर मुझ अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिस पर हाल व साबिक जमाबन्दी से अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में गोटू दर्ज होने की जानकारी हुई। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गुजरी अवधि को कण्डोन किया जाने की आज्ञा प्रदान करावें। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का नाम ईन्तकाल संख्या 158 में गोटू दर्ज हुआ जबकि गोवर्धन नाम है इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व स्वयं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा जारी लेटर पेड से सिद्ध होता है अतः धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर व अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत रोलिया द्वारा पारित आदेश इन्तकाल संख्या 158 दिनांक 18.05.1971 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है कि मृत्तक गणेश के वारिसान मोहन, गोवर्धन, शंकर के नाम नवीन सिरे से नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करे साथ ही मृत्तक गणेश के उक्त वारिसान द्वा[illegible]कार का रहन दर्ज होने पर रहन बदस्सुर रखा जावें। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.08.18 15:46:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन